निग0/3838/शहडोल/भू0रा0/2018

56

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

क्र0..........18

श्री लालजी प्रसाद पाण्डेय पिता गैवीनाथ पाण्डेय निवासी ग्राम चौरी तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 ---पुनरीक्षणकर्ता

आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी एड. द्वारा पेश/25.6.18

बिरुद्ध

25.6.18

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1. संतकुमार पिता रामधनी वैश्य
2. कन्धई पिता गौटिया कोल
3. दुलारे पिता रामसिपाही कोल
4. ललुआ पिता रामसिपाही कोल
5. जमुना पिता सिपाही कोल
6. जगन्नाथ पिता वैजनाथ ब्राम्हण
7. सोनई पिता बीरन कोल
8. रामधनी उर्फ रमई कोल
9. सम्पत पिता बेसाहन कोल
10. रामसुन्दर पिता रामसिपाही कोल
11. मुस0 जयमन्ती बेवा दउआ कोल
12. राममनि पिता बेसाहन कोल

सभी निवासी ग्राम जनकपुर थाना देवलौद तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0

13. म0प्र0 शासन जरिए हल्का पटवारी जनकपुर ---गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 बिरुद्ध आदेश व कार्यवाही राजस्व निरीक्षक बुड़वा दिनांक 20.09.17 जो प्रकरण कमांक 28/अ-12/2016-17 मे पारित।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3838/2018/भू.रा./शहडोल लालजी प्रसाद विरूद्ध संतकुमार वगैरह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अभिभाषक श्री मुनेन्द्र मिश्रा को दिनांक 07-09-2018 को ग्राह्यता एवं धारा 5 पर सुना गया । 3. मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक बुडवा के प्रकरण क्रमांक 28/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-09-2017 की नस्ती तथा निगरानी मेमों एवं संलग्न धारा 5 के आवेदन पत्र का अध्ययन किया गया । 4. आवेदक के द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20-09-2017 के विरूद्ध 9 माह 5 दिवस के विलम्ब से दिनांक 25-06-2018 को प्रस्तुत की गई । विलम्ब क्षमा हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 आवेदन भी प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा दिन-प्रतिदिन विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि विलम्ब क्षमा किया जा सके । अतः परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है । निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । 5. आवेदक अभिभाषक को नोट कराया जाये । 20.9.18 (आर.के.जैन) **सदस्य**	